भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *445

02 अप्रैल, 2025 को उत्तर देने के लिए

पश्चिमी घाट परियोजना

†*445. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) परियोजना के अंतर्गत भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पश्चिमी घाटों के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में 'स्प्रिंगशेड' प्रबंधन और पारिस्थितिकी-जल विज्ञान प्रक्रियाओं को मानव कल्याण से जोड़े जाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के संबंध में कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>पश्चिमी घाट परियोजना के संबंध में दिनांक 02.04.2025 को लोक सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 445 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) से (ख): जी, हां। दिनांक 13 जून 2024 को "भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और समाधान" पर इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (ई-पीएमएस पोर्टल) के माध्यम से प्रस्ताव आह्वान (सीएफपी) जारी किया गया था जिसमें शिक्षाविद, स्टार्टअप्स/एमएसएमई/उद्योग और प्रयोक्ता-एजेंसियां/व्यवसायी को समाविष्ट करते हुए कंसोर्टियम मोड में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे।

इस प्रस्ताव आह्वान (सीएफपी) के तहत कुल **280** प्रस्ताव प्राप्त हुए। उपर्युक्त प्रस्ताव आह्वान (सीएफपी) के तहत "भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पश्चिमी घाटों के जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्प्रिंगशेड प्रबंधन और पारिस्थितिकी जलविज्ञान प्रक्रियाओं का मानव कल्याण से संयुग्मन" नामक प्रस्ताव भी ऑनलाइन प्राप्त हुआ। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वाटरशेड हाइड्रोलॉजी पर जलवायु और भू- उपयोग के प्रभावों के आकलनार्थ पश्चिमी घाटों के चयनित जिलों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित स्प्रिंग सूचना प्रणाली विकसित करना था।

(ग) से (घ): जी, हां। एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर की अध्यक्षता और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), सर्वे ऑफ इंडिया (एसओआई), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), केंद्रीय विश्वविद्यालय, अन्य आईआईटी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), साथ ही निजी क्षेत्र इत्यादि के अन्य विशेषज्ञ सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली परियोजना छानबीन समिति का गठन किया गया। ई-पीएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त कुल 280 प्रस्ताव 26-27 सितंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली में आयोजित बैठक में परियोजना छानबीन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उक्त प्रस्ताव को परियोजना छानबीन समिति द्वारा अगले स्तर के लिए अनुशंसित नहीं किया गया क्योंकि समिति की यह राय थी कि "प्रस्ताव अधिक शोध केंद्रित प्रतीत होता है जिसमें मापनीयता और वाणिज्यीकरण क्षमता का अभाव है; संघ भागीदार के पास अनुभव और/अथवा विशेषज्ञता की कमी है।" 280 प्रस्तावों में से, समिति ने वित्तीय सहायता के लिए अंतत: 11 प्रस्तावों की सिफारिश की।

(ङ) लागू नहीं।

*****